In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur
RAKESH KUMAR–V
Ex–03/2009
शेषनाथ सोनार बनाम पारस राय

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
21-08-2026	डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता एवं सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त न्यायालय में उपस्थित हैं। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त का कहना है कि फीस के रूप में रसीद सं0–20, दिनांक–06.04.2011 को 500 रुपया व्यवहार न्यायालय, भोजपुर नजारत में जमा है। लेकिन आदेशफलक में दर्ज होना भूलवश छूट गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि रसीद सं0–20, दिनांक–06.04.2011 को 500 रुपया व्यवहार न्यायालय, भोजपुर नजारत में जमा है। अतः व्यवहार न्यायालय, भोजपुर नजारत को निर्देश दिया जाता है कि सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त का फीस मो0 500/– विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रभूषण सहाय को प्राप्त कराया जाए। दिनांक–21.08.2026 को डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव की ओर से इस आशय का एक आवेदन दिया गया है कि मोकदमा हाजा में न्यायालय के द्वारा दखल दहानी हेतु कमीश्नर की नियुक्ति की गयी थी। अधिवक्ता आयुक्त के द्वारा स्थल पर पुलिस बल और गांव के गणमान व्यक्तियों के उपस्थिति में दखल दहानी दिलाई गई और जो रिपोर्ट दाखिल किया गया है वह रिपोर्ट संतोषप्रद है उसे कंफॉर्म कर दिया जाए। डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना। जजमेंट डेटर के तरफ से कोई भी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक–02.07.2026 को अधिवक्ता आयुक्त द्वारा इजराय वाद सं0–03/2009 में चार पेज का अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसके अवलोकन से भी स्पष्ट है कि डिक्रीदार को दखल दहानी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त द्वारा दिलवा दिया गया है। उक्त प्रतिवेदन पर गवाह एवं डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव का भी हस्ताक्षर है। डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कहे कि हमारा डिक्री पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका है अतएव इजराय वाद सं0–03/2009 को समाप्त किया जाए। अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि डिक्री पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका है इसलिए इजराय	

लगातार **21.08.2026**	वाद सं0–03 / 2009 की कार्यवाही समाप्त की जाती है। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त द्वारा दाखिल प्रतिवेदन दिनांक–02.07.2026 इस आदेश का भाग माना जायेगा। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तुत इजराय वाद को अभिलेखागार में जमा करायें। लेखापित अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर, भोजपुर	